08 आपात सेवा
ए रवाना किया,
पहले ही उसने
ार को कब्जे में

स्थ्य सचिव डा.
ास्थ्य मिशन
उन्होंने राज्य में
और सुधार के
जाने का
पदों को भी
महानिदेशालय
बैठक में उन्होंने
स्वास्थ्य मिशन
के बारे में
पल की।
ायूष सिंह ने
ाय एवं भौतिक
के आकार
कार्यों में खर्च

ओल्ड एरिया
ता प्रकाश में
टया मोहल्ले
संदेह जताते
रोप है कि
ठाकर ले
ने जान से
युवती व
ी है।

हड़पे

	बाधित क्षेत्र–खुड़बुड़ा, कांवली रोड़, नेताजी मोहल्ला क्षेत्र इत्यादि।	सांय 14:00 बजे तक।
4	11 के0वी0 गांधी रोड फीडर बाधित क्षेत्र–सहारनपुर रोड़ क्षेत्र इत्यादि।	

अतः सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे उक्त अवधि में अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बनाये रखते हुये विद्युत सुधार कार्य में अपना सहयोग देने का कष्ट करें। कष्ट के लिये खेद है।

"राष्ट्रहित में बिजली बचायें"।

अधिशासी अभियन्ता
न0वि0वि0ख0 (दक्षिण), देहरादून

UEPPCB

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-115, नेहरू कालोनी, देहरादून

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

मै0 उत्तरांचल फोरेस्ट डेवेल्पमेन्ट कॉर्पोरेशन, देहरादून द्वारा जनपद देहरादून की सोंग नदी -2 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव में सोंग नदी-2 से रेता, बजरी का संग्रह किया जाना है। प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा Term of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई0आर0ए0 अधिसूचना 2006 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है। जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु पैनल की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवध है।

1. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ, बोर्ड के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून, कार्यालय जिलापंचायत, देहरादून एवं जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून में उपलब्ध है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति www.uttara.in एवं ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि उत्तरांचल फोरेस्ट डेवेल्पमेन्ट कॉर्पोरेशन द्वारा जनपद-देहरादून की सोंग नदी-2 में प्रस्तावित लघु लवणों के संग्रहण की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 10.07.2010 को प्रातः 11.00 बजे से मिलन केन्द्र, कालुवाला, डोईवाला, देहरादून में निर्धारित की गयी है। अतः जन सामान्य को सूचित किया जाता है, कि उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां और आक्षेप इस कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत प्रेषित् कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

पत्रांक - यूईपीपीसीबी / एचओ / एनओसी-1535 / 09 / 106-12 दि. 04.06.2010

सदस्य सचिव

सूचना